

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03, गोण्डा।

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या- 651/2025

ईश्वर आदि बनाम सरकार आदि

दिनांक-30.04.2026

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद पेश हुआ। आज यह वाद आदेश हेतु नियत है। उभयपक्ष के अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 9 क वास्ते संशोधन निगरानी मेमो पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 9 क/1 वास्ते संशोधन निगरानी मेमों :-

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर प्रार्थना पत्र 9 क/1 वास्ते संशोधन निगरानी मेमों मय शपथ पत्र 10 ख इस आशय से प्रस्तुत किये गए हैं कि- प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में निगरानीकर्ता है, उक्त निगरानी प्रस्तुत करते समय लिपिकीय त्रुटिवश निगरानीकर्ता सं०-01 के नाम 'ईश्वरदीन' के स्थान पर 'ईश्वर' अंकित हो गया तथा 'दीन' लिखना सहबन छूट गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः वाद उपरोक्त में वांछित संशोधन किया जाना आवश्यक है।

वांछित संशोधन यह है कि निगरानी मेमों में शीर्षक कॉलम में निगरानीकर्ता संख्या-01 के नाम ' ईश्वर' के आगे 'दीन' लिखे जाने व निगरानी मेमों के अन्त में प्रार्थी के ' ईश्वर' के आगे 'दीन' लिखे जाने एवं शपथ पत्र में शपथी के नाम ' ईश्वर' के आगे 'दीन' लिखे जाने का याचना की गई।

विपक्षीगण की ओर से मौखिक आपत्ति की गई और प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 9 क वास्ते संशोधित किये जाने नाम निगरानीकर्ता सं०-1 के संबंध में दिया गया है और कथन किया गया है कि निगरानी प्रस्तुत करते समय लिपिकीय त्रुटिवश 'ईश्वरदीन' के स्थान पर 'ईश्वर' अंकित हो गया हैं, जिसका निगरानी में संशोधन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रस्तावित संशोधन से निगरानी की कोई प्रकृति नहीं बदलती है, न्यायहित में संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है।

आदेश

संशोधन प्रार्थना पत्र 9 क स्वीकार किया जाता है। वांछित संशोधन अन्दर तीन दिवस किया जाए। प्रस्तावित संशोधन पर पैरवी भी तीन दिवस के अन्दर की जाएं। प्रकीर्ण दाण्डिक वाद वास्ते सुनवाई दिनांक 15.05.2026 को पेश हो।

दिनांक-30.04.2026

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश

कक्ष संख्या-03, गोण्डा।